राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः–प.22 / निकृवि / ई–नाम / एसएफएसी / 2020 / 46 दिनांकः 07.05.2020

निदेशक,
लघू कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC),
5 तल एनसीयूआई, अगस्त क्रांती मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली–110016,
E-Mail- sfac@nic.in

विषयः–ई–नाम पोर्टल पर तकनीकी रूप से फीस कम्पोनेंट के अन्तर्गत मण्डी शुल्क के साथ कृषक कल्याण शुल्क 2 प्रतिशत को जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–राजस्थान कृषि विपणन अधिनियम 1961 में नई धारा 17 को जोड़े जाने के राजस्थान राज्य कृषि ग्रुप–2 विभाग के आदेश दिनांक 05.05.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य कृषि ग्रुप–2 विभाग के आदेश दिनांक 05.05.2020 के अनुसार राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा में संशोधन करते हुए मण्डी समितियों द्वारा उदग्रणीय मण्डी शूल्क के अतिरिक्त कृषक कल्याण फीस वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस धारा को जोड़े जाने के उपरान्त राज्य में कृषक कल्याण फीस 2 प्रतिशत की दर का प्रावधान किया गया है। मण्डी अधिनियम की नई धारा 17 के अनुसार मण्डी क्षेत्र में बाहर से लायी गयी या क्रीत (purchase)या विक्रीत (sale) होने वाली समस्त कृषि जिंसों पर 2 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाना है। अतः मण्डी शूल्क के साथ–साथ कृषक कल्याण फीस भी ली जानी है। कृषक कल्याण फीस लेने की प्रक्रिया वही होगी जो मण्डी शूल्क लिए जाने के लिए निर्धारित है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य में सभी मण्डी समितियां ई–नाम पोर्टल पर कार्य कर रही है। इस हेतु ई–नाम पोर्टल में तकनीकी रूप से राज्य में 144 मण्डी समितियों हेतु फीस कम्पोंनेन्ट (fee component) के अन्तर्गत मण्डी शुल्क के साथ–साथ कृषक कल्याण शुल्क दर 2 प्रतिशत को जोडे हेंतू नवीन फीस कम्पोंनेन्ट का प्रावधान किये जाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

(ताराचन्द मीणा)
निदेशक
कृषि विपणन

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–
राज्य समन्वयक (राजस्थान) श्री रविचंद्रा नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लि.